टिप्पणी

29

जब्त किये अंशों का पुनर्निर्गमन

आप यह जान चुके हैं कि एक कंपनी अंश राशि को किश्तों में मांग सकती है। आप यह भी जान चुके हैं कि यदि कोई अंशधारी आबंटन राशि एवं/अथवा याचना राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी ऐसे अंशों को जब्त कर सकती है। यदि अंशों को जब्त कर लिया जाता है तो अंशधारी की सदस्यता समाप्त मानी जाती है तथा यह अंश कंपनी की सम्पत्ति बन जाते हैं। जब्त किये गये अंशों की बिक्री को अंशों का पुनर्निर्गमन (Reissue) कहते हैं।

इस पाठ में आप अंशों के पुनर्निर्गमन का अर्थ एवं कंपनी की लेखा पुस्तकों में इसके लेखांकन के सम्बन्ध में जान सकेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप :

- अंशों के पुनर्निर्गमन का अर्थ बता सकेंगे;
- उस न्यूनतम मूल्य को बता सकेंगे जिस पर कंपनी अपने जब्त किए अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है;
- विभिन्न स्थितियों में अंशों के पुनर्निर्गमन का लेखांकन कर सकेंगे।

29.1 अंशों का पुनर्निर्गमन-अर्थ एवं निर्गमन मूल्य

अंशों की जब्ती इसलिए की जाती है क्योंकि ऐसे अंशों पर देय राशि का एक भाग ही प्राप्त हुआ है तथा शेष अभी अदत्त है। जब्त हो जाने पर मूल आबंटी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। उससे शेष राशि की मांग नहीं की जा सकती। ऐसे अंश कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं। इसलिए कंपनी इन अंशों को बेच सकती है। इस प्रकार से की गई अंशों की बिक्री को अंशों का पुनर्निर्गमन कहते हैं। अतः अंशों के पुनर्निर्गमन का अर्थ है जब्त किए गये अंशों का निर्गमन।

टिप्पणी

जब निदेशक मंडल अंशों को जब्त कर लेता है तो भुगतान के लिए दोषी अंशधारक से अंशों के प्रमाण पत्र को लौटाने के लिए कहा जाता है जिसे बाद में रद्द कर दिया जाता है। निर्देशक मंडल एक प्रस्ताव पास कर जब्त किए गये अंशों को इनके नये खरीददार को आबंटित कर देता है।

अंशों के पुनर्निर्गमन करने पर न तो प्रविवरण पत्र जारी किया जाता है और न हीं जनसाधारण को इनके क्रय के लिए आमन्त्रित किया जाता है। यद्दपि ऐसे अंशों की राशि एक से अधिक किश्तों में मांगी जा सकती है लेकिन सामान्यतः पूरी की पूरी राशि एक मुश्त मांग ली जाती है।

अंशो के पुनर्निर्गमन पर इनके मूल्य के सम्बन्ध में निर्णय कम्पनी का निदेशक मण्डल लेता है। यह अंश सममूल्य पर, प्रीमियम पर या फिर बट्टे पर जारी किये जा सकते हैं। यह मूल्य अधिकांश रूप से सम मूल्य से कम ही होता है। पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट की राशि किसी भी रूप में इन अंशों पर जब्त की गई राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अब प्रश्न उठता है कि जब्त किए गये अंशों को किस मूल्य पर बेचा जा सकता है? इनके पुनर्निर्गमन के मूल्य की कोई सीमा नहीं है यदि मूल्य जब्ती के समय के निर्गमन के मूल्य से अधिक है। लेकिन पुनर्निर्गमन के न्यूनतम मूल्य की सीमा होती है। इससे कम पर कंपनी अपने जब्त किये गये अंशों को नहीं बेच सकती। हम इसे एक और दृष्टि से देखें तो कंपनी जब्त किए गये अंशों के पुनर्निर्गमन पर एक निश्चित राशि से अधिक की छूट नहीं दे सकती।

जब्त किए गये अंशों के पुनर्निर्गमन पर दी जाने वाली अधिकतम छूट का विभिन्न परिस्थितियों में निर्धारण नीचे दिए गये तरीके से किया जायेगा :

(i) अंश जिन्हें मूल रूप से सममूल्य पर जारी किया गया : जब अंशों को मूल रूप से सममूल्य पर जारी किया जाता है तो अंशों के पुनर्निर्गमन पर अधिकतम इन अंशों पर जब्त राशि तक की छूट दी जा सकती है।

(ii) अंश प्रारम्भ में प्रीमियम पर जारी किये गये : जब अंशों को प्रारम्भ में ही प्रीमियम पर जारी किया जाता है तो दो स्थितियां होती है : (क) जब्त किये गये अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है; (ख) ऐसे अंशों पर प्रीमियम की गई राशि प्राप्त हो गई है। जब्त की गई राशि वह राशि है जो प्राप्त हो गई है जिसमें प्रीमियम की राशि भी सम्मिलित है यदि वह भी प्राप्त हो गई है तथा इन अंशों के पुनर्निर्गमन पर अधिक से अधिक इस जब्त की गई राशि तक की छूट दी जा सकती है।

(iii) अंश जिन्हें प्रारम्भ में बट्टे पर जारी किया गया : इस स्थिति में वास्तविक रूप में प्राप्त राशि ही जब्त की गई राशि होती है। लेकिन इन अंशों के पुनर्निर्गमन पर छूट की अधिकतम राशि जब्त की गई राशि तथा इन अंशों के प्रारम्भिक निर्गमन पर दी गई छूट के बराबर होगी।

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 29.1

उचित शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

(i) अंशों की जब्ती पर ..... आबंटी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है।

(ii) जब्त किये गये अंश ..... की सम्पत्ति होते हैं।

(iii) जब प्रारम्भ में अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो ऐसे अंशों के पुनर्निर्गमन पर अधिकतम छूट इन अंशों की ..... की राशि के बराबर होती है।

(iv) यदि अंश प्रारम्भ में प्रीमियम पर जारी किये गये हैं तो जब्त की गई राशि वह राशि होती है जो प्राप्त हो गई है तथा इसमें ..... की प्राप्त राशि सम्मिलित होती है।

(v) जब्त किये गये वह अंश जो मूल रूप से बट्टे पर जारी किये गये थे के पुनर्निर्गमन पर छूट की राशि, जब्त की गई राशि तथा प्रारम्भ में दी गई ..... की राशि के योग के बराबर होगी।

29.2 अंशों के पुनर्निर्गमन का अभिलेखन

जब्त किए गये अंशों का बट्टे पर पुनर्निर्गमन जब जब्त किए गये अंशों का बट्टे पर पुनर्निर्गमन किया जाता है तो प्राप्त राशि बैंक खाता के नाम पक्ष में लिखी जाती है तथा प्रदत्त राशि से अंश पूँजी खाते को जमा किया जाता है। छूट दी गई राशि को अंश जब्ती खाता के नाम में लिखा जाता है। यह जब्ती के समय जब्त की गई राशि में से इस प्रकार से दी गई छूट की राशि के समायोजन के लिए होता है।

इसकी रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार से होगी :

बैंक खाता (पुनर्निर्गमन पर प्राप्त राशि)		नाम
अंश जब्ती खाता (छूट की राशि)		नाम
	अंश पूँजी खाता (प्रदत्त राशि) से	

जैसा कि पहले कहा जा चुका है अंशों के पुनर्निर्गमन पर छूट की राशि अधिक से अधिक इन अंशों पर जब्त की गई राशि के बराबर हो सकती है। ऐसी स्थिति में पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश जब्ती खाता शून्य शेष दर्शाएगा। लेकिन यदि यह छूट की राशि जब्त की गई राशि से कम है तो शेष जब्त की गई राशि कंपनी के लिए लाभ होगी। कंपनी के लिए यह पूँजीगत लाभ होगा तथा इसे पूँजी संचय खाते में हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। इसकी रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार से होगी।

अंश जब्ती खाता		नाम
	पूँजी संचय खाता से	

टिप्पणी

यदि जब्त किये गये सभी अंशों का पुनर्निर्गमन कर दिया गया है तो अंश जब्ती खाता शून्य शेष दर्शाएगा क्योंकि पुनर्निर्गमन पर छूट की राशि के समायोजन के पश्चात इस खाते की राशि को पूँजी संचय खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि जब्त किये गये कुछ ही अंशों का पुनःनिर्गमन किया गया है तथा शेष रद्द किये हुए हैं तो उन जब्त किये गये अंशों की जब्त राशि जिनका पुनर्निर्गमन नहीं किया गया है अंश जब्ती खाता में ही रहेगा। पुनर्निर्गमित अंशों पर जब्त राशि के समायोजन की राशि का निर्धारण इस प्रकार से होगा :

$$\text{समायोजन की राशि} = \frac{\text{कुल जब्त राशि}}{\text{जब्त किए गए कुल अंश}} \times \text{पुनर्निर्गमित अंशों की संख्या}$$

पाठगत प्रश्न 29.2

नीचे कुछ कथन दिये गये हैं। सही के आगे 'स' तथा गलत के आगे 'ग' लिखिए :

(i) अंश जब्ती खाता का शून्य शेष हो सकता है।

(ii) जब्त किये गये अंशों पर प्रदत्त छूट की राशि अंशों के निर्गमन पर 'बट्टा खाता' के नाम लिखी जाएगी।

(iii) अंशों के पुनःनिर्गमन पर दी गई छूट के समायोजन के पश्चात अंश जब्ती खाता की शेष राशि इसी खाते में रहेगी।

29.3 जब्त किये गये अंशों के पुनर्निर्गमन का लेखांकन

जब्त किये गये अंशों के पुनर्निर्गमन की चार परिस्थितियां हो सकती है जो इस प्रकार है :

(i) मूलरूप से सममूल्य पर निर्गमित जब्त किये अंशों का बट्टे पर पुनर्निर्गमन

(ii) मूलरूप से सममूल्य पर निर्गमित जब्त किये गये अंशों का सममूल्य, अथवा प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन

(iii) मूलरूप से प्रीमियम पर निर्गमित जब्त किये गये अंशों का सममूल्य पर बट्टे पर या फिर प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन।

(iv) मूलरूप से बट्टे पर निर्गमित जब्त किए गये अंशों का सममूल्य, बट्टे पर या फिर प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन

उपर्युक्त सभी स्थितियों में लेखाकरण को आगे समझाया गया है :

1. जब्त किये गये अंशों का बट्टे पर निर्गमन, मूल रूप से जिन्हें सममूल्य पर जारी किया गया

टिप्पणी

इस स्थिति में जब्त किये गये अंशों पर अधिकतम छूट की राशि इन अंशों पर प्राप्त राशि हो सकती है तथा इसे अंश जब्ती खाते के नाम में लिखा जाता है

उदाहरण 1

एक्स (X) कंपनी लि. ने ₹ 10 के 200 अंश पूर्ण मांगे हुए को जब्त कर लिया। इन पर ₹7 प्रति अंश प्राप्त हुए तथा ₹ 3 प्रति अंश की याचना राशि प्राप्त नहीं हुई। इन अंशों को बाद में ₹ 8 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनर्निर्गमित कर दिया गया। अंशों के जब्त करने तथा उनके पुनर्निर्गमन की रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल :

रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
(i)	अंश पूँजी खाता नाम		2,000	
	अंश जब्ती खाता से			1,400
	अंश अन्तिम याचना खाता से			600
	(200 अंश ₹ 10 प्रति अंश को ₹ 3 प्रति अंश की अन्तिम याचना के भुगतान न करने पर जब्त कर लिया गया)			
(ii)	बैंक खाता नाम		1,600	
	अंश जब्ती खाता नाम		400	
	अंश पूँजी खाता से			2,000
	(जब्त किए 200 अंशों का ₹ 8 प्रति अंश से पूर्णप्रदत्त पुनर्निर्गमन)			
(iii)	अंश जब्ती खाता नाम		1,000	
	पूँजी संचय खाता से			1,000
	(अंश जब्ती खाता की शेष राशि का पूँजी संचय खाता में हस्तान्तरण)			

2. जब्त किये अंशों का प्रीमियम पर एवं सममूल्य पर पुनर्निर्गमन, जो प्रारम्भ में सममूल्य पर जारी किये गये थे

इस स्थिति में अंशों के पुनर्निर्गमन पर अंश जब्त खाते के जमा की कुल राशि को पूँजी संचय खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

टिप्पणी

उदाहरण 2

वाई (Y) लि. ने ₹ 20 प्रति अंश के 400 अंश जब्त किये जिन पर ₹ 15 प्रति अंश से प्राप्त हुए तथा शेष अभी देय है और उनका भुगतान नहीं किया गया है। इन अंशों का पुनर्निर्गमन किया गया :

(क) ₹ 20 प्रति अंश अर्थात सममूल्य पर

(ख) ₹ 24 प्रति अंश अर्थात प्रीमियम पर

अंशों के पुनर्निर्गमन की रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए।

हल

रोजनामचा प्रविष्टियाँ

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
स्थिति (क)				
(i)	बैंक खाता नाम		8,000	
	अंश पूँजी खाता से			8,000
	(400 अंश ₹ 20 प्रति अंश पर पुनर्निर्गमित किए)			
(ii)	अंश जब्ती खाता नाम		6,000	
	पूँजी संचय खाता से			6,000
	(अंश जब्ती खाता की शेष राशि का पूँजी संचय खाते में हस्तान्तरण)			
स्थिति (ख)				
(i)	बैंक खाता नाम		9,600	
	अंश पूँजी खाता से			8,000
	प्रतिभूति प्रीमियम खाता से			1,600
	(जब्त किये अंशों का प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन)			
(iii)	अंश जब्ती खाता नाम		6,000	
	पूँजी संचय खाता से			6,000
	(अंश जब्ती खाते की शेष राशि का पूँजी संचय खाते में हस्तान्तरण)			

उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में पुनर्निर्गमित अंशों की जब्त की गई कुल राशि को पूँजी संचय खाते में हस्तान्तरित कर दिया गया क्योंकि इन अंशों के पुनर्निर्गमन पर कोई छूट नहीं दी गई, इसलिए जब्त की गई पूरी राशि कंपनी का लाभ है।

3. मूलरूप से प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का सममूल्य पर, बट्टे एवं प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन

यदि अंश मूल रूप से प्रीमियम पर जारी किये गये थे तो यह आवश्यक नहीं है कि उनके जब्त किये जाने के पश्चात् उनका पुनर्निर्गमन भी प्रीमियम पर हो। ऐसे अंशों को सममूल्य पर, बट्टे पर या फिर प्रीमियम पर जारी किया जा सकता है।

यदि इन अंशों को प्रीमियम पर जारी किया जाता है तो प्रीमियम की प्राप्त राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते के जमा में लिखा जाना चाहिए। ऐसे में रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी

बैंक खाता   नाम
(अंशों की संख्या × प्रति अंश प्राप्त राशि)
    अंश पूँजी खाता से
    (अंशों की संख्या × प्रति अंश प्रदत्त राशि)
    प्रतिभूति प्रीमियम खाता से
    (अंशों की संख्या × प्रति अंश प्रीमियम राशि)

यदि इन अंशों का पुनर्निर्गमन सममूल्य पर किया जाता है जो राशि प्राप्त हो चुकी है तथा अंश जब्ती खाता के जमा में लिखी जा चुकी है को पूँजी संचय खाते के जमा में लिखा जायेगा।

यदि इन अंशों का पुनर्निर्गमन बट्टे पर किया जाता है तो छूट की राशि को जब्ती खाते के जमा की राशि में से समायोजित कर लिया। अंश जब्ती खाते के शेष को पूँजी संचय खाते में हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

उदाहरण 3

एजैड (AZ) लिमिटेड ने ₹ 10 के 200 अंशों को जब्त किया। ये अंश ₹ 4 प्रति अंश से प्रीमियम पर जारी किये गये थे। अंशधारी ने ₹ 3 प्रति अंश से आवेदन पर भुगतान किये थे लेकिन उसने ₹ 7 प्रति अंश (प्रीमियम सम्मिलित) आबंटन पर तथा ₹ 4 प्रति अंश याचना पर भुगतान नहीं किये। इन अंशों के जब्त करने तथा उसके पुनःनिर्गमन की रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए, यदि इनका :

I. ₹ 10 प्रति अंश पर पुनर्निर्गमन अर्थात सममूल्य पर हुआ है,

II. ₹ 8 प्रति अंश पर पुनर्निर्गमन अर्थात बट्टे पर हुआ है,

III. ₹ 12 प्रति अंश पर पुनर्निर्गमन अर्थात प्रीमियम पर हुआ है,

टिप्पणी

हल

रोजनामचा प्रविष्टियां

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
(i)	अंश पूँजी खाता (200 × ₹ 10) नाम प्रतिभूति प्रीमियम खाता (200 × ₹ 4)नाम अंश जब्ती खाता (200 × ₹ 3) से आबंटन खाता (200 × ₹ 7) से अंश प्रथम एवं अन्तिम याचना खाता (200 × ₹ 4) से		2,000 800	 600 1,400 800

स्थिति I

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
(i)	बैंक खाता नाम अंश पूँजी खाता से (200 जब्त किये गये अंशों का सममूल्य पर पुनर्निर्गमन)		2,000	 2,000
(ii)	अंश जब्ती खाता नाम पूँजी संचय खाता से (अंश जब्ती खाता के शेष का पूँजी संचय खाता में हस्तान्तरण)		600	 600

अब क्योंकि जब्त किये गये अंशों का सममूल्य पर पुनर्निर्गमन किया गया है अर्थात् पुनर्निर्गमन पर इन अंशों पर कोई छूट नहीं दी गई है। अतः सम्पूर्ण जब्त की गई ₹ 600 की राशि कंपनी का लाभ है जिसका पूँजी संचय खाते में हस्तान्तरण कर दिया गया है।

स्थिति II

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
(i)	बैंक खाता नाम अंश जब्ती खाता नाम पूँजी खाता से (200 अंशों का बट्टे पर पुनर्निर्गमन)		1,600 400	 2,000

टिप्पणी

(ii)	अंश जब्ती खाता नाम पूँजी संचय खाता से (अंश जब्ती खाता की शेष राशि का पूँजी संचय खाता में हस्तान्तरण)		200	 200

जब्त किये गये अंशों के पुनर्निर्गमन के समय ₹ 2 प्रति अंश से छूट दी गई। ₹ 400 की बट्टे की इस राशि को ₹ 600 की जब्त की राशि में से समायोजित कर लिया गया तथा शेष ₹ 200 पूँजीगत लाभ होने के कारण पूँजी संचय खाते में हस्तान्तरित कर दिया गया।

स्थिति III

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
(i)	बैंक खाता नाम अंश पूँजी खाता से प्रतिभूति प्रीमियम खाता से (जब्त किये गये 200 अंशों का प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन)		2,400	 2,000 400
(ii)	अंश जब्ती खाता नाम पूँजीगत संचय खाता से (अंश जब्ती खाता के शेष का पूँजीगत संचय खाते में हस्तान्तरण)		600	 600

जब्त किये अंशों को प्रीमियम पर जारी किया गया है इसलिये कोई छूट की राशि नहीं है जिसे जब्त की राशि से समायोजत किया जाय। इसलिए जब्त की कुल ₹ 600 की राशि को कंपनी के पूँजीगत लाभ होने के कारण पूँजी संचय खाते में हस्तान्तरित कर दिया गया।

4. मूलरूप से बट्टे पर जारी जब्त किये अंशों का सममूल्य पर, प्रीमियम पर या बट्टे पर पुनःनिर्गमन

जब जब्त किये गये अंशों को जो प्रारम्भ में बट्टे पर निर्गमित किये गये थे, पुनःनिर्गमन किया जाता है तो प्रारम्भ में बट्टे पर निर्गमन के समय बट्टे की राशि जिसे अंशों के जब्ती के समय वापस लिख दिया गया था पुनर्निर्गमन पर फिर से वह छूट दी जाएगी। अतः अंशों के जब्त किये जाने पर अंश बट्टा खाता के जमा में इनके निर्गमन पर दी गई छूट की राशि लिख दी जायेगी। क्योंकि अंशों के जब्त किये जाने पर इसके प्रभाव को समाप्त किया जाता है। जब इन अंशों का पुनर्निर्गमन किया जाता है तो निर्गमन पर मूल छूट की राशि को छूट खाता के नाम में लिख दिया जाता है।

टिप्पणी

उदाहरण 4

इन्डिया इन्फ्रास्ट्रकचर लि. ने अपने ₹ 20 प्रति अंश, ₹ 2 प्रति अंश से बट्टे पर जारी किये थे। 200 अंशों की धारक महिमा ने ₹ 5 की अन्तिम याचना का भुगतान नहीं किया। उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। बाद में कंपनी ने जब्त किये इन अंशों में से 100 अंशों का (i) ₹ 15 प्रति अंश, (ii) ₹ 20 प्रति अंश एवं (iii) ₹ 25 प्रति अंश पर पुनःनिर्गमन कर दिया।

कंपनी की लेखा पुस्तकों में अंशों के जब्त करने एवं उनके पुनःनिर्गमन की रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए।

हल

रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
	अंश पूँजी खाता नाम		2,000	
	अंश जब्ती खाता से			1,300
	अंश निर्गमन पर बट्टा खाता से			200
	अंश अन्तिम याचना खाता से			500
	(बट्टे पर निर्गमित जब्त किये 200 अंशों की अन्तिम याचना के भुगतान न करने पर जब्ती)			

अंशों का पुनर्निर्गमन

I. ₹ 15 प्रति अंश से पुनर्निर्गमन :

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
(i)	बैंक खाता नाम		1,500	
	अंश निर्गमन पर बट्टा खाता नाम		200	
	अंश जब्ती खाता नाम		300	
	अंश पूँजी खाता से			2,000
	(100 अंशों का 15 प्रतिअंश से पुनर्निर्गमन)			
(ii)	अंश जब्ती खाता नाम		1,000	
	पूँजी संचय खाता से			1,000
	(अंश जब्त खाता के शेष का पूँजी संचय खाता में हस्तान्तरण)			

टिप्पणी

II. ₹ 20 प्रति अंश से पुनर्निर्गमन

तिथि	विवरण	खा.पृ. सं.	नाम राशि (₹)	जमा राशि (₹)
(i)	बैंक खाता नाम		2,000	
	अंश पूँजी खाता से			2,000
	(100 अंशों का ₹ 20 प्रतिअंश से पुनःनिर्गमन)			
(ii)	अंश जब्ती खाता नाम		1,300	
	पूँजी संचय खाता से			1,300
	(अंश जब्ती खाता के शेष का पूँजी संचय खाते में हस्तान्तरण)			

III. ₹ 25 प्रति अंश पर पुनर्निर्गमन

तिथि	विवरण	खा.पृ. सं.	नाम राशि (₹)	जमा राशि (₹)
(i)	बैंक खाता नाम		2,500	
	अंश निर्गमन पर बट्टा खाता नाम		200	
	अंश पूँजी खाता से			2,000
	प्रतिभूति प्रीमियम खाता से			700
	(100 बट्टे पर जारी अंशों का ₹ 25 प्रति अंश से पुनर्निर्गमन)			
	अंश जब्ती खाता नाम		1,300	
	पूँजी संचय खाता से			1,300
	(अंश जब्त खाता के शेष का पूँजी संचय खाते में हस्तान्तरण)			

जब्त किये अंशों में से कुछ अंशों का पुनर्निर्गमन

कभी–कभी जब्त किये गये सभी अंशों को पुनर्निर्गमित नहीं किया जाता है उनमें से कुछ का ही पुनर्निर्गमन होता है। उसके लेखांकन को नीचे दिये गये उदाहरण से समझाया गया है:

उदाहरण 5

एक कंपनी ने ₹ 50 प्रति अंश के 400 अंशों को जब्त किया जिन पर ₹ 10 प्रति अंश आवेदन पर तथा ₹ 20 प्रति अंश आबंटन पर प्राप्त हुए हैं। ₹ 20 प्रतिअंश की अंतिम याचना राशि प्राप्त नहीं हुई। इनमें से 300 अंशों को ₹ 40 प्रति अंश से पुनः जारी किया गया। अंशों की जब्ती एवं उनके पुनर्निर्गमन की रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए।

टिप्पणी

हल :

रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*खा.पृ. सं.*	*नाम राशि (₹)*	*जमा राशि (₹)*
	अंश पूँजी खाता नाम		2,000	
	अंश जब्ती खाता से			1,200
	अंश प्रथम एवं अन्तिम याचना से			800
	(याचना राशि के भुगतान न होने पर 400 अंशों की जब्ती)			
	बैंक खाता नाम		1,200	
	अंश जब्ती खाता नाम		300	
	अंश पूँजी खाता से			1,500
	(जब्त किये गये अंशों में से 300 अंशों का पुनःनिर्गमन)			
	अंश जब्ती खाता नाम		600	
	पूँजी संचय खाता से			600
	(3000 अंशों का जब्त किया शेष पूँजी संचय खाता में हस्तान्तरण)			

पाठगत प्रश्न 29.3

निम्न स्थितियों में पूँजीगत संचय खाता जमा में कितनी राशि लिखी जायेगी?

(i) 100 अंश ₹ 10 प्रति अंश ₹ 3 की याचना के भुगतान न करने पर जब्त किये गये थे उन्हें ₹ 7 प्रति अंश से पुनर्निर्गमित किया गया।

(i) 200 अंश ₹ 10 प्रति अंश के जब्त किये गये जिन पर ₹ 8 प्रति अंश मांगे गये थे तथा केवल ₹ 2 प्रति अंश का भुगतान किया गया था। इनका ₹ 9 प्रति अंश से पुनर्निर्गमन किया गया।

(iii) 100 अंश ₹ 20 प्रतिअंश जिन्हें ₹ 2 प्रति अंश से बट्टे पर जारी किया गया था, को ₹ 4 प्रति अंश की प्रथम याचना तथा ₹ 5 प्रति अंश की अन्तिम याचना के भुगतान न करने पर जब्त कर लिया गया। इन अंशों का ₹ 15 प्रति अंश से पुनर्निर्गमन किया गया।

टिप्पणी

आपने क्या सीखा

- अंशों के पुनर्निर्गमन का अर्थ है उन अंशों की बिक्री जो पहले ही जारी किये जा चुके हैं लेकिन जिनको मांगी गई राशि के भुगतान न करने के कारण जब्त कर लिया गया।
- अंशों का पुनर्निर्गमन जब्त किये गये अंशों की कम से कम उस राशि की वसूली के लिए किया जाता है जिसकी मांग की जा चुकी है लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया।
- पुनर्निर्गमित अंशों की राशि सामान्यतः एक ही किश्त में मांग ली जाती है।
- अंशों का पुनर्निर्गमन सममूल्य पर, बट्टे पर एवं प्रीमियम पर किया जा सकता है।
- पुनर्निर्गमन पर छूट दी जाने वाली अधिकतम राशि ऐसे अंशों पर जब्त राशि के बराबर हो सकती है।
- जब्त की गई राशि इन अंशों के पुनर्निर्गमन पर दी जाने वाली छूट के समायोजन के लिये उपयोग की जाती है।
- अंश जब्ती खाता का शेष कंपनी का पूँजीगत लाभ है तथा इसे पूँजी संचय खाते के जमा में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

पाठान्त प्रश्न

1. अंशों के पुनर्निर्गमन का अर्थ बताइए।
2. जब्त किये अंशों के पुनर्निर्गमन पर छूट की अधिकतम राशि क्या होगी जब कि जब्त किये गये अंश मूलतः जारी किये गये थे (क) सममूल्य पर (ख) प्रीमियम पर (ग) बट्टे पर?
3. जब्त किये अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात पूँजी संचय खाते में कौन सी राशि हस्तान्तरित की जाती है? यह राशि क्यों हस्तान्तरित की जाती है?
4. निम्न स्थितियों में अंशों के जब्त करने एवं उनके पुनर्निर्गमन की क्या रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए :

   (a) X लि. के निदेशकों ने ₹ 10 के 400 अंश पूर्ण प्रदत्त जब्त किये जिन पर ₹ 2,400 प्राप्त हुए हैं। इनमें से 300 अंशों को ₹ 2,500 में पुनः जारी कर दिया गया।

   (b) रीयल एस्टेट डैवलपर्स लि. ने ₹ 10 के 500 अंशों को जिनका धारक अमरजीत सिंह था, को जब्त किया जो ₹ 3 प्रति अंश प्रीमियम पर जारी किये थे जिसका भुगतान आबंटन पर होना था। उसने केवल ₹ 2 प्रति अंश से आवेदन राशि का भुगतान किया था। इनमें से 200 अंशों का ₹ 10 प्रति अंश से पुनर्निर्गमन किया गया।

टिप्पणी

(c) रायॅल एन्टरप्राइज लि. ने 200 अंश ₹ 10 प्रीमियम वाले 10% बट्टे पर जारी किये थे। इन पर केवल ₹ 4 प्रति अंश का ही भुगतान किया गया। इनमें से 100 अंशों का ₹ 7 प्रति अंश से पुनर्निर्गमन कर दिया गया।

5. रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए :

(a) पी. लि. ने 10 प्रति अंश के 400 अंश सुरेश को निर्गमित किये जिन पर उसने ₹ 3 की आवेदन राशि का ही भुगतान किया था तथा ₹ 3 प्रति अंश से आबंटन राशि एवं ₹ 2 प्रति अंश से प्रथम याचना राशि का भुगतान नहीं कर सका। अन्तिम याचना से पूर्व ही उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। बाद में इन्हीं अंशों का ₹ 8 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनर्निर्गमन कर दिया गया।

(b) एक कंपनी ने ₹ 100 प्रति अंश के 10,000 अंश ₹ 20 प्रीमियम पर जारी किये जिसका भुगतान इस प्रकार होना था ₹ 20 आवेदन पर, ₹ 60 प्रीमियम सहित, आबंटन पर, तथा ₹ 20 प्रति याचना से दो याचनाओं पर। अन्तिम याचना नहीं मांगी गई। 200 अंशों की धारक पिंकी ने आबंटन राशि का भुगतान नहीं किया तथा प्रथम याचना राशि के भुगतान न करने पर कंपनी के निदेशक मंडल ने उसके अंशों को जब्त कर लिया। इनमें से 150 अंशों को ₹ 120 प्रति अंश पूर्णप्रदत्त पुनः जारी कर दिया गया।

6. जॉय एन्टरटेन लिमिटेड ने 1,00,000 अंश ₹ 10 प्रति के ₹ 2 प्रीमियम पर निर्गमित किये। इन पर राशि का भुगतान इस प्रकार होना था :

₹ 3 प्रति अंश आवेदन पर

₹ 5 (प्रीमियम सहित) आबंटन पर

₹ 2 प्रति अंश प्रथम याचना पर

₹ 2 प्रति अंश अंतिम याचना पर

1,50,000 अंशों के लिये आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदन स्वीकार कर लिये गये तथा आबंटन अनुपात के आधार पर किया गया। सुशील, जिसे 1,000 अंश आबंटित किये गये थे ने आबंटन राशि का भुगतान नहीं किया। प्रथम याचना के भुगतान न करने पर उसके अंशों को जब्त कर लिया गया।

गोमांग ने जिसने 750 अंशों के लिये आवेदन किया था, दो याचनाओं का भुगतान नहीं किया। उसके अंशों को भी जब्त कर लिया गया। सुशील के सभी अंश तथा गोमांग के 200 अंशों का ₹ 2 बट्टे पर पुनःनिर्गमन किया गया। कंपनी की बहियों में रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए तथा आवश्यक खाते भी बनाइए।

7. 21 सैन्च्यूरी कॉटन मिलस् लिमिटेड ₹ 10,00,000 की पूँजी से पंजीकृत की गई जो ₹ 10 के 1 लाख अंशों में विभक्त थी। 50,000 अंश जनसाधारण को ₹ 1 बट्टे पर प्रस्तावित किये गये।

राशि का भुगतान ₹ 5 आवेदन एवं आबंटन पर एवं ₹ 4 प्रति अंश याचना पर करना था।

48,000 अंशों के लिये आवेदन प्राप्त हुए। याचना मांगी गई तथा 1,000 अंशों को छोड़कर सभी पर राशि प्राप्त हुई। यह अंश जब्त कर लिये गये। इनमें से 800 अंश ₹ 12 प्रति से पुनर्निर्गमित कर दिये गये।

कंपनी की लेखा पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। स्थिति विवरण भी तैयार कीजिए।

टिप्पणी

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

29.1 (i) मौलिक (ii) कंपनी (iii) जब्त किये गये
(iv) प्रीमियम (v) बट्टा

29.2 (i) (स) (ii) (स) (iii) (ग)

29.3 (i) ₹ 400 (ii) ₹ 200 (iii) ₹ 300

पाठांत प्रश्नों के उत्तर

4. (क) पूँजी संचय ₹ 1,300 (ख) पूँजी संचय ₹ 600
(ग) पूँजी संचय ₹ 200

5. (क) पूँजी संचय ₹ 400 (ख) पूँजी संचय ₹ 3,000

6. पूँजी संचय ₹ 1,800

7. पूँजी संचय ₹ 4,000